

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामील में
जारी हुए

13.02.2023

पत्रावली पेश हुई।

वादिनी वकील उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादिनी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम काटाड़ी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 51, 65, 364, 462 व 277 कुल रकबा 14.8196 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क. स	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	रंग
1	कूपीया पुत्र धूसीया जाति रबारी सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर	277	2.4929	
	योग	1	2.4929	तोतई
2	धर्मीदेवी उर्फ धर्मोदेवी पत्नी खंगाराराम पिता रददाराम जाति देवासी सा. देह खातेदार	277 364 462 51 65	1.2464 1.0684 2.0032 0.2347 1.6106	
	योग	5	6.1633	पीला
3	छोगाराम पुत्र फुआराम हि0 1/2, नारायणराम पुत्र फुआराम हि0 1/2 जाति रबारी सा. देह खातेदार	277 364 462 51 65	1.2464 1.0684 2.0032 0.2347 1.6106	
	योग	5	6.1633	गुलाबी

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना



डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाडमेर) व
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:- 197/2007

वादिनी:-

श्रीमती धर्मीदेवी उर्फ धर्मोदेवी पुत्री रददाराम पत्नी खंगाराराम जाति देवासी
निवासी काठाड़ी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. फुआ पुत्र रददाराम
2. कूपीया पुत्र धूसीया
जाति देवासी निवासी काठाड़ी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : -13.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व...
.....मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम काठाड़ी
तहसील सिवाना की खसरा संख्या 51, 65, 364, 462 व 277 कुल रकबा 14.8196 हैक्टेयर भूमि
निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	कूपीया पुत्र धूसीया जाति रबारी सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर	277	2.4929	
	योग	1	2.4929	तोतई
2	धर्मोदेवी उर्फ धर्मोदेवी पत्नी खंगाराराम पिता रददाराम जाति देवासी सा. देह खातेदार	277 364 462 51 65	1.2464 1.0684 2.0032 0.2347 1.6106	
	योग	5	6.1633	पीला
3	छोगाराम पुत्र फुआराम हि0 1/2, नारायणराम पुत्र फुआराम हि0 1/2 जाति रबारी सा. देह खातेदार	277 364 462 51 65	1.2464 1.0684 2.0032 0.2347 1.6106	
	योग	5	6.1633	गुलाबी

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में
दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का
अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान
अपना-अपना वहन करे।

(दिनेश विश्‍नोई)

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2023 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना